मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक- 14.06.2021 को बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम एवं बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के संबंध में आहूत बैठक की कार्यवाही

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम एवं बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा में दिए गए निदेशों पर कार्रवाई के लिए दिनांक-14.06.2021 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में विकास आयुक्त एवं संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव के साथ बैठक आहूत की गई। इसमें निम्नलिखित निदेश दिए गए -

1) नागरिकों को सुविधा देने के उद्देश्य से लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत दी जाने वाली सभी सेवाओं को एक प्लेटफार्म पर लाया जाना है। इसके लिए BELTRON (सूचना प्रावैधिकी विभाग) द्वारा नए software solution के development पर काम किया जा रहा है। इसे यथाशीघ्र पूरा किया जाए और विभागों के साथ समन्वय रखकर उनके requirements को भी ध्यान में रखा जाए।
2) सभी संबंधित विभाग उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली लोक सेवाओं के आवेदन देने के लिए निर्धारित किए गए templates/fields (including document uploading etc.) का विवरण दो दिनों के भीतर बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी को उपलब्ध करा देंगे जिसे software develpoment/ integration में सुविधा के लिए सूचना प्रावैधिकी विभाग की तकनीकी टीम को दिया जाएगा ।
3) लोक सेवाओं की timely delivery की monitoring के लिए जब तक सभी विभागों के report generate होने की system based व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक संबंधित विभाग ई-मेल पर बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी को नियमित रूप से अपनी लोक सेवाओं के प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।
4) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग दाखिल-खारिज की सेवाओं को नियत समय सीमा में प्रदान किए जाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करे।
5) बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत वैसे योजना,कार्यक्रम एवं सेवाओं जिनसे संबंधित परिवादों का त्वरित निराकरण कराया जा सकता है के लिए बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी द्वारा विभागवार विषयों का चयन कर विभागों से उनका मंतव्य माँगा गया है। संबंधित विभाग 10 दिनों में इसे उपलब्ध करा दें। ऐसे चयनित मामलों में निवारण की समय सीमा कम किया जाना है ।
6) बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति के तहत ग्रामीण कार्य विभाग के पथों, राज्य उच्च पथों तथा बृहद जिला पथों की मरम्मति एवं पुल-पुलिया की मरम्मति संबंधी परिवादों को प्राथमिकता के तहत निवारण कराया जाना है। संबंधित विभाग अपने लोक प्राधिकारों को इसके लिए सख्त निदेश दें। निवारण में देरी के लिए दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई भी की जाए।

(चंचल कुमार)
प्रधान सचिव-सह-मिशन निदेशक

7545 ·P 3146 (01)

(12)

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी

(सामान्य प्रशासन विभाग)

ज्ञापांक-बि.प्र.सु.मि.सो./विविध -01/2020सो-......908......**दिनांक** ......21/06/2021......

प्रतिलिपिः- सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(डॉ.प्रतिमा)
अपर मिशन निदेशक

ज्ञापांक-बि.प्र.सु.मि.सो./विविध -01/2020सो-......908......**दिनांक** ......21/06/2021......

प्रतिलिपिः- माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव /सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय को सूचनार्थ प्रेषित।

(डॉ.प्रतिमा)
अपर मिशन निदेशक

ज्ञापांक-बि.प्र.सु.मि.सो./विविध -01/2020सो-......908......**दिनांक** ......21/06/2021......

प्रतिलिपिः- मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/ विकास आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(डॉ.प्रतिमा)
अपर मिशन निदेशक

बिहार सरकार

ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांकः–1 / अ0प्र0–01–18 / 2016 2922 / पटना, दिनांकः 08/07/2021

प्रतिलिपिः– अभियंता प्रमुख के आप्त सचिव / विशेष सचिव के आप्त सचिव / सभी मुख्य अभियंता / अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, ब्राडा / सभी अधीक्षण अभियंता / सभी कार्यपालक अभियंता / आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कृष्ण मोहन सिंह)
सरकार के उप सचिव

Memo 2021 (sanjeev) Rina Comp